न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

ब इजलास - पंकज गढ़वाल R.A.S.

वाद संख्या 127/2018

निर्णय दिनांक 10.11.2020

बबलकुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी बूहन्द तहसील राजगढ़ जिला चूरू

– वादी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र डेडाराम जाति जाट निवासी बूहन्द तहसील राजगढ़ जिला चूरू

2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू जरिए शाखा प्रबन्धक

3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहेब / उपपंजीयक महोदय राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू

– प्रतिवादीगण

4. विजयकुमार } पुत्रगण धर्मपाल
5. दलीपकुमार }
6. अनिता } पुत्रियां धर्मपाल
7. सुनिता }
} जाति जाट निवासीगण बूहन्द तहसील राजगढ़ जिला चूरू

– गौण प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणात्मक खातेदारी व प्राप्त करने चिरस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित :-

1. श्री सत्यवीर सिंह शिवरान अधिवक्ता वास्ते वादी
2. " रामचन्द्र अधिवक्ता वास्ते - प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादी सं. 4 से 7
3. मधु अग्रवाल अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 2

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा यह वाद घोषणात्मक विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T.Act. इस आशय का पेश किया है कि [illegible]

ख.नं. 548 तादादी 33 बीघा 8 बिस्वा कुल तादादी 80 बीघा 10 बिस्वा वाके रोही नूहन्द तहसील राजगढ़ जिला चूरू वादी व गौण प्रतिवादीगण के दादा तथा प्रतिवादी सं. 1 के पिता व माता देदा पुत्र चूना व दादी भीमा पत्नी देदा जाति जाट निवासी नूहन्द के खातेदारी काश्तकारी भी रही हैं। जिन कृषि भूमियों के हाल ख० न० 500 तादादी 0.01 हैक्ट० ख० न० 502 तादादी 8.44 हैक्ट० वाके रोही नूहन्द व कृषि भूमि ख० न० 458 तादादी 0.40 हैक्ट० ख० न० 459 तादादी 11.51 हैक्ट० वाके रोही नूहन्द तहसील राजगढ़ जिला चूरू मौजूद हुए हैं। यही विवादित कृषि भूमियां हैं। उक्त विवादित कृषि भूमि में वादीगण, गौण प्रतिवादीगण व प्रतिवादी सं. 1 अपने-अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज है और अपने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि को काबिज रह कर काश्त करते आ रहे हैं व उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। विवादित कृषि भूमि वादी, गौण प्रतिवादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक दादालाई सम्पति है जो वादी, गौण प्रतिवादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को उनके दादा, दादी व पिता माता देदा व भीमा से प्राप्त हुई है। वादी, गौणप्रतिवादी व प्रतिवादी सं. 1 हिन्दू खानदान के सदस्य है जो हिन्दू धर्म को मानने वाले तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा विधि से शासित है। इस कारण उक्त विवादित कृषि भूमियों में वादी, गौण प्रतिवादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा रहा है। जिस कारण वादी व गौण प्रतिवादीगण उक्त विवादित कृषि भूमियों में ब हिस्सा बराबर 1/6 - 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं व इसी अनुसार वादी उक्त विवादित कृषि भूमियों में अपना व गौण प्रतिवादीगण का हिस्सा ब हिस्सा बराबर 1/6 - 1/6 हिस्सा को अपने हक में घोषित कराने का अधिकारी है जिस हेतु वादी द्वारा यह वाद घोषणात्मक पेश किया जा रहा है।

प्रतिवादी सं. 1 वादी के विरोधी व्यक्तियों के बहकावे में आया हुआ है व अपना तथा अपने परिवार का भला बुरा सोचने समझने में असमर्थ है व उक्त विवादित कृषि भूमियों को विक्रय रहन या अन्य तरीके से हस्तान्तरण करने की फिराक में है इसलिए वादी को प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनी आवश्यक हो गई। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को काफी कहा व कहलवाया कि वह विवादित कृषि भूमियों में स्थित वादी व गौण प्रतिवादीगण का हक हिस्सा 1/6 - 1/6 घोषित मान कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवे व उक्त विवादित कृषि भूमियों का रहन बेय व अन्य तरीके से हस्तान्तरण ना करे मगर प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 9.6.18 को ऐसा मानने से बमुकाम नूहन्द में स्पष्ट इन्कार कर दिया जिस कारण वादी को इसी दिन से वाद कारण व वादाधार हासिल है। अतः अदालत पेश कर घोषणा व चिरस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है।

जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबालदावा पेश कर वाद स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। गौण प्रतिवादीगण की ओर से भी इकबालदावा पेश किया गया है। वाद पत्र के अभिवचनों का कोई खण्डन पेश नही हुआ इसलिए विवाद्यक कायम नही किये गये।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2025-26, 2041-44 जमाबन्दी 2066-69, 2074-77, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खातेदार चर्मपाठ पेश की। जमाबन्दी सम्वत 2025 से 26 में खातेदार उदा मुतबना लूना व जमाबन्दी सम्वत 2041 से 44 में खातेदार मु० भीमा बेवा उदा दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से वादग्रस्त विवादित कृषि भूमि पैतृक होना साबित है। प्रतिवादी सं० 1 द्वारा इकबालदावा पेश कर वाद डिक्री किये जाने में आपत्ति नही होना जाहिर किया है। राजहित प्रभावित होने की कोई संभावना नही है। बैंक हित सुरक्षित रखते हुए वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा घोषित किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि ख० नं० 500 तादादी 0.01 है० ख० नं० 502 तादादी 8.44 हैक्टर वाके रोही बूहड व ख० नं० 458 तादादी 0.40 है० ख० नं० 459 तादादी 11.51 है० वाके रोही बूहड तहसील राजगढ़ जिला चूरू में वादी, गौण प्रतिवादीगण व प्रतिवादी सं० 1 ब हिस्सा बराबर 1/6 - 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जा कर सरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)